इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 639] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

क्र. 7520-349-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१४

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, २०१४

[दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द ''बीस से अधिक'' के स्थान पर, शब्द ''पचास से अधिक'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) इस अधिनियम में की कोई भी बात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन ''सूक्ष्म उद्योग'' के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी:

परन्तु राज्य सरकार, किसी सूक्ष्म उद्योग सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्णरूप से वापस ले सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है.

धारा ८ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (३) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परन्तु जहां सरकार ने मानक स्थायी आदेशों में कोई संशोधन किया है, वहां उसे किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम को लागू स्थायी आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्यक्रूप से सम्मिलित कर लिया गया समझा जाएगा.''

धारा १७-ख का अंतस्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा १७-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अपराधों का प्रशमन

''१७-ख. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो) कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात् प्रशमन शुल्क के रूप में उतनी धनराशि, जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि से अधिक न हो परन्तु जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात् प्रशमन करा सकेगा; जब कि अपराध का प्रशमन—

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, किया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है तो ऐसे प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

५. (१) मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ९ सन् २०१४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 7521-349-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2014

THE MADHYA PRADESH INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) AMENDMENT ACT 2014.

[Received the assent of the Governor on the 29th December, 2014; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 30th December, 2014].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Act, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Act, 1961 (No. 26 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) in sub-section (1), in clause (a) for the words "more than twenty", the words" more than fifty" shall be substituted;

(ii) after sub section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Nothing in this Act shall apply to an establishment or industrial entity classified as 'Micro Industry' under the Micro, small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006):

Provided that the State Government may withdraw, partially or fully any exemption granted to any Micro Industry or category of Micro Industries, if it is satisfied that it is so required in the interest of workers." .

Amendment of section 8.

3. In section 8 of the principal Act, in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where the Government has made any amendment in the Standard Standing Orders, the same shall be deemed to be duly incorporated in any award, agreement or settlement and in the certified amendments to the standing orders applicable to an undertaking.".

Inserton of section 17 -B.

4. After section 17-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Composition of offences.

"17-B. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, an officer authorized by the State Government in this behalf by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence committed for the first time or after expiry of a period of two years of commitment of previous offence (if any), either before or after institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee, as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine but not less than half of the maximum amount of fine for the offence as composition fee; when the offence is so compounded-

(i) before the institution of the prosecution the offender shall not be liable to prosecution and shall, if in custody, be set at liberty:

(ii) after the institution of prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.".

Repeal and saving.

5. (1) The Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Ordinance, 2014 (No. 9 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, any thing done on any action taken uider the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014